

प्र.पी.-21

जप्ती पत्रक

D-82

पुलिस थाना ईओडब्ल्यू
अपराध क्रमांक 9/2015

जिला रायपुर
धारा 109, 120 बी भा.द.वि. एवं 13 (1) डी एवं 13
(2) भ्रटाचार निवारण अधिनियम 1988

जप्ती दिनांक 03.03.2015 समय 2.20 बजे दोपहर

जप्ती स्थान नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय अवंति विहार रायपुर अरविन्द सिंह ध्रुव के
टेबल से केवल सीपीयू

नाम जिससे जप्ती किया गया है अरविन्द सिंह ध्रुव पिता श्री गणेश सिंह ध्रुव उम्र 44 वर्ष
निवासी मौदाहापारा रायपुर बजरंग मंदिर के पास मोबाईल नं० 9826956641

नाम जिसके समक्ष जप्ती किया गया:-

1. दिनेश कुमार चन्द्रवेशी ६० ख. की. एव चन्द्रवेशी उम्र 55 वर्ष निवासी
उपाध्याय नगर नं० sector-3, mobile Num-98263-73565

2. श्री. कै० ताम्रकर ६० ख. राग जी. ताम्रकर उम्र 54 वर्ष निवासी
जीताबजी नगर sector 1 Q. H-224, 88179-03398

अप्रवृत्त गौन मुख्यालय.

नाम जिस अधिकारी द्वारा जप्ती किया गया:- श्री आर.के. दुबे निरीक्षक एन्टी कप्शन ब्यूरो

माल का विवरण

एक नग सीपीयू एचसीएल कंपनी क्रमांक 5113 ए सी 160083 HCL
INFOSYSTEMS SLD. UTL INDIA कक्ष क्रमांक पीडीएस अरविन्द सिंह ध्रुव के टेबल से
उसके बताये अनुसार शिवशंकर भट्ट प्रबंधक पीडीएस के कहने पर चिल्हर खर्चे का हिसाब
बनाया जाना बताया है। जिसे बाद में मिटा देना अरविन्द ध्रुव द्वारा बताया गया। समक्ष गवाहन
जप्त कर सील बंद किया गया

हस्ताक्षर गवाहन

हस्ताक्षर जिससे जप्ती

हस्ताक्षर विवेचना अधिकारी

किया गया

1. 3/3/15

2. 3/3/15

3/3/15

3/3/15

सत्यापित प्रति

(ए.डी. देवस्थली)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू
रायपुर (छ.ग.)